(वाद सं0– 1736/4/6/2022)

02.08.2022

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, भुनेश्वर सिंह, के भेलडुमरा एवं मखदुमपुर डुमरा के संयुक्त मौजा में स्थित मकान को अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, आरा, द्वारा अवैध रूप से तोड़ने तथा इस सम्बन्ध में आपत्ति करने पर उनके द्वारा परिवादी, भुनेश्वर सिंह, को धमकी देते हुए धक्का मारकर भगा देने से सम्बन्धित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा से प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के प्रतिवेदन व साथ अनुलग्नित अपर समाहर्त्ता, भोजपुर, आरा के प्रतिवेदनानुसार ‘‘दिनांक–16.07.2021 को ही श्री अजय सिंह, पिता–स्व0 तप नारायण सिंह, ग्राम–भेलडुमरा थाना–आरा मु0, द्वारा तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया गया था, जिसमें श्री भुनेश्वर सिंह एवं इनके पुत्रों एवं पोतों पर सरकारी पी0सी0सी0 ढ़लाई पथ एवं सीवान की भूमि पर गोशाला बनाकर जबरदस्ती अतिक्रमण की बात कही गई थी। तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा उक्त आवेदन के आलोक में धारा–133 द0प0 संहिता के तहत दिनांक–16.07.2021 को कार्यवाही प्रारम्भ की गई, तथा उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। तत्पश्चात् अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष से प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अमीन द्वारा उक्त भूमि की मापी हेतु दिनांक–13.01.2022 को जाने पर श्री भुवनेश्वर सिंह द्वारा मापी करने से रोक दिया गया, पुनः दिनांक–17.01.2022 को उक्त भूमि की मापी पुलिस बल की उपस्थिति में करायी जा सकी। मापी प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख है कि स्थल पर पहुँच कर मापी कार्य सर्वे नक्शा के अनुसार किया गया। मापी के क्रम में पाया गया कि उक्त खसरा दो मौजे के सिवान पर स्थित है। यह सिवान मोटी लाईन है, जो 10 कड़ी (6.6 फीट) होता है। उक्त सिवान की भूमि पर द्वितीय पक्ष (भुनेश्वर सिंह) द्वारा पक्का बांउड्री एवं मकान बनाकर दखल–कब्जा किया गया था। अंचलाधिकारी, सदर, आरा द्वारा प्राप्त जाँच/मापी प्रतिवेदन के आधार पर सरकारी अतिक्रमित भूमि पर से

अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश पारित करते हुए अतिक्रमण हटाया गया। श्री भुवनेश्वर सिंह, द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि आपत्ति करने पर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा धक्का मारकर भगा दिया गया, यह बिल्कुल तथ्यहीन एवं सत्य से परे झुठा आरोप है। न्यायालय में सैकड़ो की संख्या में विद्वान अधिवक्तागण तथा वादी एवं परिवादी रहते हैं।'' चूकी भुवनेश्वर सिंह द्वारा सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है, जिस कारण उनके द्वारा मनगढ़ंत झुठा आरोप लगाया जा रहा है। प्रतिवेदनानुसार, पुछताछ के क्रम में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, आरा द्वारा भुवनेश्वर सिंह, को धक्का देकर भगा देने का आरोप निराधार एवं सत्य से परे है।

अब जबकि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, आरा द्वारा परिवादी के सरकारी भूमि में किये गये अतिक्रमण को विधि अनुसार अतिक्रमण मुक्त कराया गया है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति के साथ जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के प्रतिवेदन (पृष्ठ 24–05/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को भेज दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक